न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 715 / 2023

अनवान : –

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शारदा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शर्मिला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 15 जे.एस.एन.–ए तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 142 / 75 के कुल खसरे 09 की कुल तादादी 1.7840 है0 भूमि व रोही मौजा 14 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135 / 126 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 1.9052 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 15 जे.एस.एन.–ए तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 142 / 75 के कुल खसरे 09 की कुल तादादी 1.7840 है0 भूमि व रोही मौजा 14 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135 / 126 के मु0 नं0 352 / 397 (37) के किला नं. 13 / 2 की 0.0480 है0 व 14 / 1 की 0.0839 है0, 17 / 2 की 0.0839 है0, 18 / 2 की 0.2120 है0, 23 / 6 की 0.0222 है0, 24 / 3 की 0.0630 है0 कुल 0.5130 है0 भूमि पर वादी काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 269/275 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 268/274 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 53/53 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 105/105 प्रदर्श–4, जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 563/576 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 61/60 प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 14/14 प्रदर्श–7, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम भूकरका प्रदर्श 8 ता 9, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 4 बीकेके प्रदर्श–10, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–11 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 715/2023

अनवान : –

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शारदा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शर्मिला पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 715 सन 2023 निर्णय दिनांक 13/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जे.एस.एन.–ए तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 142/75 के कुल खसरे 09 की कुल तादादी 1.7840 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 14 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135/126 की कुल 1.9052 है0 भूमि में से प0 नं0 352/397 (37) के किला नं. 13/2 की 0.0480 है0 व 14/1 की 0.0839 है0, 17/2 की 0.0839 है0, 18/2 की 0.2120 है0, 23/6 की 0.0222 है0, 24/3 की 0.0630 है0 कुल 0.5130 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.11.0.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:37 IST
Reason: SelfAttested